

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

अपील संख्या 4148/2021 मंजुवाला भाटी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2021 में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कर्नाडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में राज.मा.वि. रम्भावली, ब्लॉक छोटी सादडी, जिला प्रतापगढ़ में अध्यापक लेवल-1 के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी क कथनानुसार अपीलार्थी की नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन दिनांक 23.01.1992 को रा.प्रा.वि. हिंगोरिया, ब्लॉक छोटी सादडी, जिला प्रतापगढ़ में अध्यापक लेवल-1 के पद पर हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में नियम 6-डी के तहत राभायोजित होकर अध्यापक लेवल-1 के पद पर रा.उ.मा.वि. रम्भावली, ब्लॉक-छोटी सादडी, जिला प्रतापगढ़ में दिनांक 09.06.2016 से कार्यरत है। अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर प्रतापगढ़ जिले से राजसमंद जिले के ब्लॉक खपनोर के विद्यालयों में रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतियत रिधति के सम्बन्ध में गहन अन्वेषण व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। सेंटर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। तृतीय श्रेणी अध्यापक का पद जिला केंद्र का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलेस्तरीय सेंटर प्रभावित होता है। तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर वर्गवार एवं जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था हागी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एन.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 शता सचम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अस्वीकृत की जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

सत्यमेव जयते



(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 22/02/22

क्रमांक:- शांवेरा-मा./सस्था/एफ-2/जो.के./जय/13275/2021

प्रतिलिपि. निम्नांकित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु --

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-विधि) जयपुर
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़
- 3 संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
- 4 सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- 5 अपीलार्थी मंजुवाला भाटी, अ. लेवल-1, रा.उ.मा.विद्यालय, रम्भावली, ब्लॉक-सादडी, जिला-प्रतापगढ़ (रजिस्टर्ड)
- 6 रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (विधि)